



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के अन्तर्गत लखनऊ, कानपुर, बरेली, मेरठ, गोरखपुर एवं आगरा जौन की विभिन्न आवासीय/अनावासीय सम्पत्तियों को ई-नीलामी के माध्यम से प्राप्त करने का



सुनहरा अवसर

**आवासीय/अनावासीय सम्पत्तियों की ई-नीलामी
तिथि : 19.01.2022**

ई-नीलामी द्वारा निस्तारित होने वाली सम्पत्तियों हेतु

ई-नीलामी पोर्टल <https://upavpauktion.procure247.com/>

➔ प्रस्तावित ई-नीलामी तिथि से पूर्व दिवस तक जिन आवेदकों/बोलीदाताओं का ई-नीलामी के पोर्टल पर पंजीकरण तथा निर्धारित पंजीकरण/टोकन धनराशि परिषद के ई-नीलामी हेतु निर्धारित खाते में (ई-नीलामी पोर्टल के माध्यम से) जमा रहेगी उनके द्वारा ही ई-नीलामी में प्रतिभाग किया जा सकेगा।

नोट : 1). किसी भी ई-नीलामी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने तथा नीलामी की नियम व शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार आवास आयुक्त में निहित है। 2). निर्माण संबंधी नियम उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, उ.प्र. एवं वर्तमान में प्रचलित भवन निर्माण उपविधि के अनुरूप होंगे। 3). ई-नीलामी हेतु ऑफ लाइन आवेदन किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

उपरोक्त से सम्बन्धित विस्तृत विवरण यथा- शहर एवं योजना का नाम, सम्पत्ति का प्रकार, क्षेत्रफल, आरक्षित दर एवं

नियम व शर्तें इत्यादि परिषद की वेबसाइट www.upavp.in तथा ई-पोर्टल <https://upavpauktion.procure247.com/> पर उपलब्ध है।

**ई-नीलामी हेतु सम्पर्क करें: 8866287104/ 9574524058/ 7016716557
(सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10:00 से सायं 5:30 बजे)**

टोल फ्री : 1800-180-5333, 0522-2236803 (सोमवार से शुक्रवार)

प्रातः 10:00 से सायं 6:00, ई-मेल tapan@tender247.com;

mahesh.baku@procure247.com; helpdesk@procure247.com

